ई-श्रम पंजीकरण के लिये एक पॉकेटबुक गाइड

युवा
YUVA

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (युवा) एक नॉन प्रोफ़िट संस्था है जो गरीब समूहों को उनके अधिकारों तक पहुंचने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा समूह गठन का समर्थन करता है जो विकास में संलग्न होते हैं, जिससे समुदायों में स्व-निर्धारित और निरंतर सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित होती है। यह काम मुद्दों पर वकालत और नीतिगत सुझावो के साथ पूरक है।

रचयिता: शलाका चौहान

समीक्षक: मरीना जोसेफ

संपादक: डोएल जयकिशेन, विजय खरत

प्रकाशक:
यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (युवा),
युवा केंद्र, प्लॉट 23, सेक्टर 7, खारघर,
नवी मुंबई - 410210 (भारत)

जनवरी 2022

डिजाइनर: तबिश शकील

www.yuvaindia.org

info@ayuvaindia.org

@officialyuva

@officialyuva

yuvaindia84

@yuvaonline

/company/officialyuva

@officialyuva

विषय-सूची

1. परिचय 2

i. पॉकेटबुक गाइड के उद्देश्य 3
ii. ई-श्रम प्रक्रिया में शामिल लोग 4

2. ई-श्रम के बारे में 6

i. ई-श्रम पोर्टल और ई-श्रम कार्ड के बारे मे 7
ii. ई-श्रम के लाभ 8
iii. ई-श्रम के लिए पात्रता 9
iv. ई-श्रम पर पंजीकरण करने के तरीके 10
v. स्वयं पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज 11
vi. स्वयं पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण सूचना 12

3. ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण के दस चरण 14

4. सहायता और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 24

5. स्रोत 26

1.
परिचय

ई-श्रम पंजीकरण के लिए युवा की पॉकेटबुक गाइड बनायी गई हैं जिससे ई-श्रम पोर्टल में अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के पंजीकरण मे सहायता मिल सके। यह गाइड अधिकतम पंजीकरण को सुनिश्चित करने लिए जानकारी और सूचना देगी। यह असंगठित कामगार, एनजीओ, यूनियन, कामगार के समूह और ऐसे लोग जो पंजीकरण मे मदद कर सकते हैं उनको राह दिखाएगी और उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता अभियान मे भी बड़ा रोल निभाएगी।

1 | वर्तमान में, यह पॉकेटबुक गाइड 5.2.2022 को अपडेट किए गए ई-श्रम पोर्टल पर आधारित है। हम ई-श्रम प्रक्रिया द्वारा की गई प्रगति के अनुसार पॉकेटबुक गाइड को अपडेट करते रहेंगे।

i. पॉकेटबुक गाइड के उद्देश्य

1 असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के बारे में **जागरूकता पैदा करना**।

2 ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पर **स्पष्टता देना**।

3 ई-श्रम कार्ड के संबंध में **गलत सूचना पर रोक लगाना**।

4 जमीनी **चुनौतियों को समझना** और सुझाव देना।

ii. ई-श्रम प्रक्रिया में शामिल लोग

पंजीकरण के लिए पोर्टल निर्माता

1

आधिकारिक पंजीकरण संस्था

2

4

स्वयं पंजीकरण में सहायता

3

लाभार्थी

2.
ई-श्रम के बारे में

i. ई-श्रम पोर्टल और ई-श्रम कार्ड के बारे में

ई-श्रम पोर्टल :

असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया था।

पोर्टल के लिए दिए गए लिंक पर जाएं :

https://register.eshram.gov.in/#/user/self

ई-श्रम कार्ड :

ई-श्रम कार्ड में एक अनोखा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होता है जिससे कामगार देश भर में कहीं भी, कभी भी इस कार्ड के माध्यम से घोषित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं। ई-श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूएएन नंबर प्रत्येक पंजीकृत कामगार के लिए अनोखा होता है, और यह नाम, पता, व्यवसाय, कौशल, शैक्षिक योग्यता और बैंक विवरण जैसी उनकी जानकारियो से जुड़ा होता है।

ii. ई-श्रम के लाभ

1 पंजीकरण, गणना और मान्यता

2 योजनाओं से जुडाव :

योजनाओं से जुडाव: वर्तमान में, पंजीकृत कामगार एक वर्ष के लिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त दुर्घटना बीमा प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें अचानक हुई मृत्यु और स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये शामिल हैं। सरकार भविष्य में असंगठित श्रमिकों को आवश्यक राहत प्रदान करने में मदद कर सकती है (जैसा कि महामारी के मामले में) और अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज को अधिक आसानी से लागू कर सकती है।

iii. ई-श्रम के लिए पात्रता

1

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी कामगार को एक घर खाता कामगार, स्वरोजगार कामगार या मजदूर कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है। असंगठित क्षेत्र में उद्यम के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, ये असंगठित उद्यमों या घरों में काम करने वाले श्रमिक हैं जो ना तो नियमित कामगार हैं और ना ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिससे इन्हें समाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता हैं।

उदाहरण के तौर पर: निर्माता मज़दूर, औद्योगिक मज़दूर, किसान, मनरेगा मज़दूर, आशा कामगार, सफ़ाई मज़दूर, मछुआरे, आंगनवाड़ी कामगार, रेडी पटरी वाले, घर खाता कामगार, घरेलू कामगार, रिक्शा मज़दूर, बीड़ी मज़दूर और भी ऐसे ही और असंगठित श्रमिक।

2

इन्हें ईएसआईसी [2] या ईपीएफ़ [3] से जुड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए।

3

ये आयकर दाता नहीं होने चाहिए।

4

इनकी उम्र 16 से 59 के बीच मे होने चाहिए।

2 | कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रबंधित कर्मचारी राज्य बीमा एक वैधानिक निकाय है जो भारत में श्रमिकों को चिकित्सा आपात स्थिति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3 | कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम, 1952 के तहत ईपीएफ मुख्य योजना है। कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं।

iv. ई-श्रम पर पंजीकरण करने के तरीके

1 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संस्था है जो देश भर में 4 लाख से अधिक केंद्रों के साथ एक नामांकन एजेंसी के रूप में काम कर रही है।
- यह एक मुफ़्त पंजीकरण सहायता प्रदान करता है।

नोट: ई-श्रम वेबसाइट पर, 'सीएससी लोकेटर' नामक एक टैब वार्ड स्तर पर सीएससी का पता लगाने में मदद करता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण मुफ़्त है, श्रमिकों को किसी भी पंजीकरण संस्था को कोई ज़्यादा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि कामगार से सीएससी कर्मचारी प्रत्येक जानकारी पुछते और पूरा करते रहे।

2 स्टेट सेवा केंद्र के माध्यम से-

- 17,337 से अधिक स्टेट सेवा केंद्र ई-श्रम पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- यह एक निःशुल्क, राज्य पंजीकरण सहायता प्रणाली है।

3 स्वयं पंजीकरण के माध्यम से-

- ऑनलाइन ई-श्रम पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करें।
- इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है।

v. स्वयं पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता है

i. **आधार संख्या**

ii. **मोबाइल नंबर (आधार से जुड़ा हुआ)**

iii. **आईएफ़एससी कोड वाला बैंक खाता**

यदि पंजीकरण करने वाले कामगार के पास आधार कार्ड नहीं है या आधार फोन नम्बर से नहीं जुड़ा हुआ हैं, तो वे कृपया इसके लिए नजदीकी आधार केंद्र पर जाए। बैंक खाते को खुलवाने के लिए कृपया नज़दीकी बैंक शाखा पर जाए।

vi. स्वयं पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1 सामाजिक श्रेणी

सामाजिक श्रेणी जाति के रूप में भी जाना जाता है। कृपया सही श्रेणी भरें क्योंकि विभिन्न जाति समूहों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में सटीक डेटा रखने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित विभागों की वेबसाइट देखें-

i. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग- अनुसूचित जाति (एससी) की राज्यानुसार सूची के लिए।[4]

ii. जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार)- अनुसूचित जनजाति (एसटी) की केंद्रीय सूची के लिए।[5]

iii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची के लिए।[6]

2 नामांकित व्यक्ति का विवरण

कामगार का जीवनसाथी, बच्चे या माता-पिता सभी लाभार्थी नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं। यदि उनमें से किसी का उल्लेख ई-श्रम के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में किया जाता है, तो पंजीकृत कामगार की मृत्यु के बाद वे अपने आप ही योजना में दावा किए गए लाभों के पात्र हो जाते हैं। विवरण भरने के लिए, नामांकित व्यक्ति को चुनें और उनकी सही जन्म तिथि (उनके आधार या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार) जोड़ें। नाबालिग बच्चों के मामले में, उनके संभावित अभिभावक का भी विवरण भरें।

3 व्यवसाय विवरण

कृपया सही जानकारी भरने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर एनसीओ (नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन) कोड सूची (जो की 25.11.21 तक अपडेट हैं)[7] को ध्यान से पढ़ें। एनसीओ कोड सूची में सेक्टर नाम (बाएं), व्यवसाय का पारिवारिक नाम (मध्य) और नौकरी की भूमिका/व्यवसाय (दाएं) के लिए तीन पंक्तियां हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यवसाय तीसरी पंक्ति में दिया गया है, और अन्य दो पंक्तियाँ बड़ी श्रेणियां हैं जो हमें खोज प्रक्रिया में मदद करती हैं। व्यवसाय/आजीविका के नाम के साथ सटीक होने के लिए कृपया तीसरी पंक्ति पर ध्यान दें। ई-श्रम पोर्टल एक सेकंडरी व्यवसाय के लिए भी पूछता है जो पंजीकृत कामगार का अन्य व्यवसाय हो सकता है। इसे भरने के लिए, कृपया उसी एनसीओ कोड सूची का उपयोग करें।

4 बैंक खाते का विवरण

आईएफ़एससी कोड, खाता संख्या, खाताधारक का नाम (जिनका बैंक खाता हैं उनका नाम) और बैंक शाखा जैसी जानकारी भरने के लिए कृपया कामगार अपनी पासबुक अपने पास रखें।

5 प्रमाणपत्र

पंजीकरण के लिए, यह पोर्टल कामगार की पढ़ाई, आय और व्यवसाय का प्रमाणपत्र माँगता हैं पर इसको डालना अनिवार्य नहीं हैं।

4 | https://socialjustice.nic.in/UserView/index?mid=76750

5 | https://tribal.nic.in/ST/LatestListofScheduledtribes.pdf

6 | http://www.ncbc.nic.in/user_panel/centralliststateview.aspx

7 | https://register.eshram.gov.in/assets/file/NCO-codes5.pdf

3.
ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण के दस चरण

चरण 1

वेबसाइट खोजें

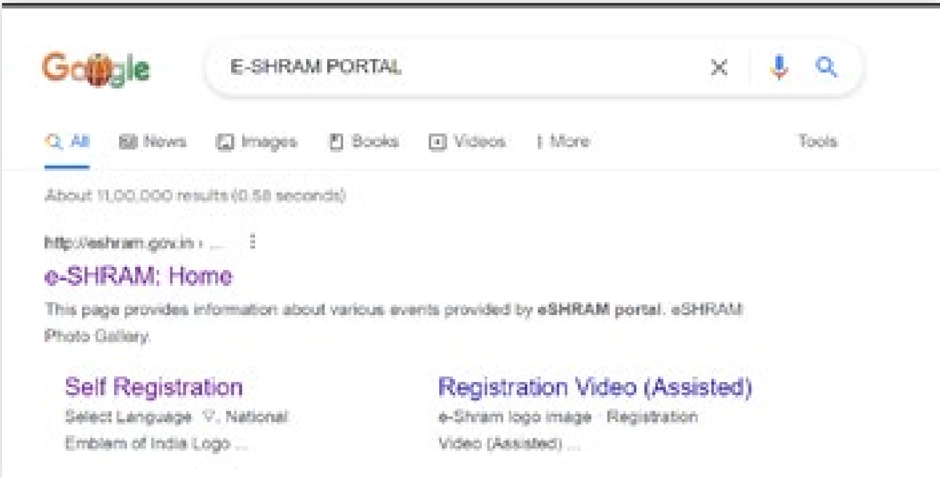

चरण 2

स्वयं पंजीकरण का फॉर्म भरें

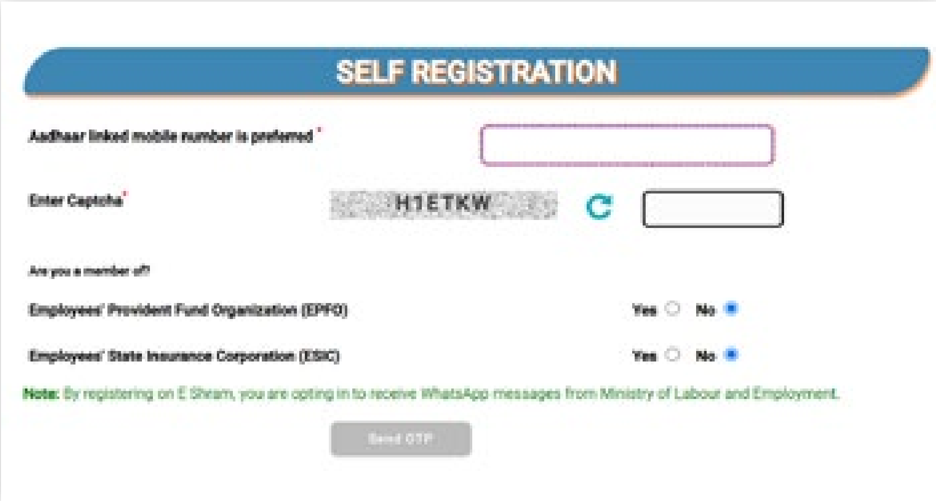

i. पहले बक्से मे अपना फोन नम्बर डाले।
ii. दूसरे बक्से मे ग्रे पट्टी पर दिए गए अक्षर व नम्बर की नक़ल करके उसे बिल्कुल वैसा ही लिखे।
iii. आगे आप अगर आप ईपीएफ़ओ और ईएसआइसी से नहीं जुड़े हुए हैं तो नहीं - 'NO' यानी दूसरा बटन दबा दे।
iv. यह करते ही नीचे ओटीपी के लिए दिए गए बटन को दबा दे।

नोट: कृपया कामगार के आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करें। यदि मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत नहीं है, तो कृपया इसे नजदीकी आधार केंद्र पर अपडेट करें।

चरण 3

ओटीपी नंबर दर्ज करें

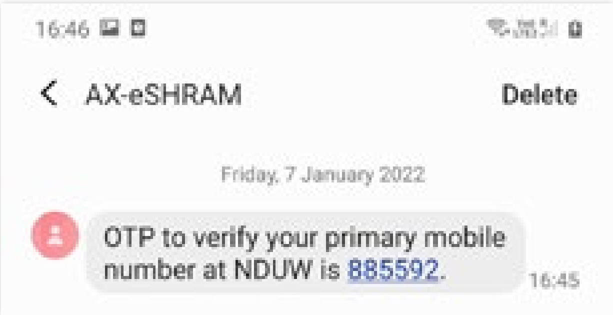

ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा एक नंबर के साथ जिसको ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) कहते हैं। कृपया उस नम्बर को आगे डाल दे।

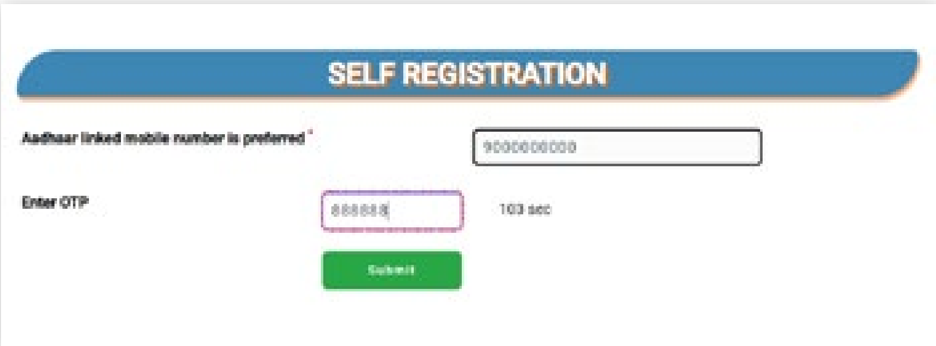

चरण 4

कामगार का आधार नंबर दर्ज करें

i . पहले बक्से मे अपने आधार कार्ड के नम्बर को डाले।
ii. दूसरे बक्से मे ग्रे पट्टी पर दिए गए अक्षर व नम्बर की नक़ल करके उसे बिल्कुल वैसा ही लिखे।
iii. सब से नीचे 'पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तो से सहमत हूँ' के आगे दिए गए छोटे से बक्से मे क्लिक करे। यह आपकी सहमती को दर्शाता हैं।

नोट: आधार नंबर दर्ज करने के बाद, कामगार को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आएगा।

चरण 5

व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें

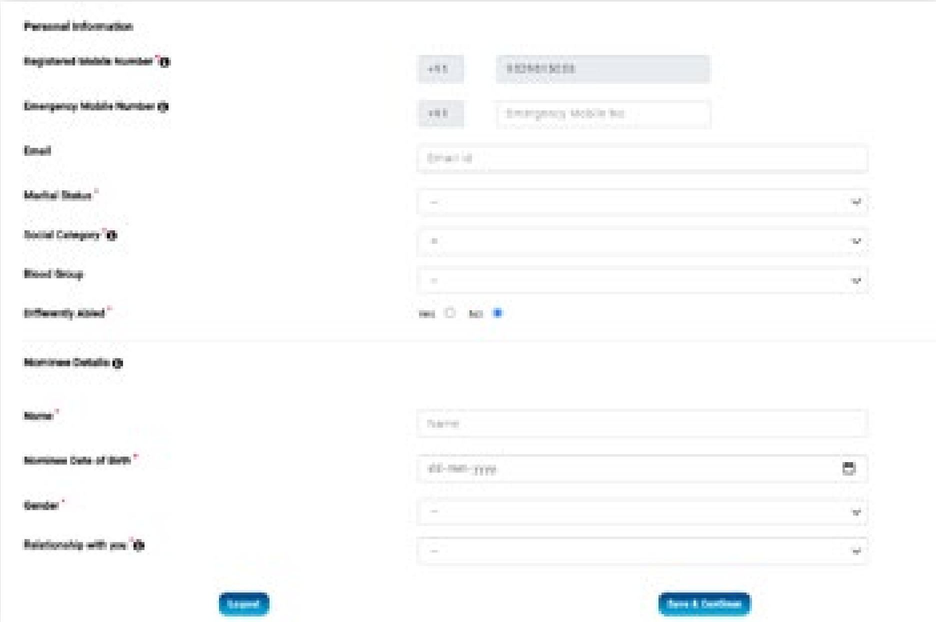

केवल लाल तारे वाले प्रश्न अनिवार्य हैं।

- पहले अनिवार्य प्रश्न वाले बक्से में अपना पंजीकृत फोन नम्बर डाले।
- दूसरे अनिवार्य प्रश्न वाले बक्से में अपनी शादी/ विवाह का स्टेटस (स्थिति) डाले- इसमें विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा विकल्प दिए हैं।
- कृपया सामाजिक श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य) डाले।
- नामांकित विवरण भरने के लिए उनका नाम, जन्मतिथि और लिंग आगे के बक्सों में डाल दे। अगले बक्से में उनके साथ आपका रिश्ता (माँ, पिता, पती/ पत्नी, बच्चे, इत्यादि) डाल दें। याद रहे अगर नामांकित व्यक्ति अगर नाबालिग हैं यानी 18 वर्ष से कम हैं, तो आगे उनके सम्भावित अभिवाहक के लिए जानकारी डालनी होगी।

चरण 6

व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें

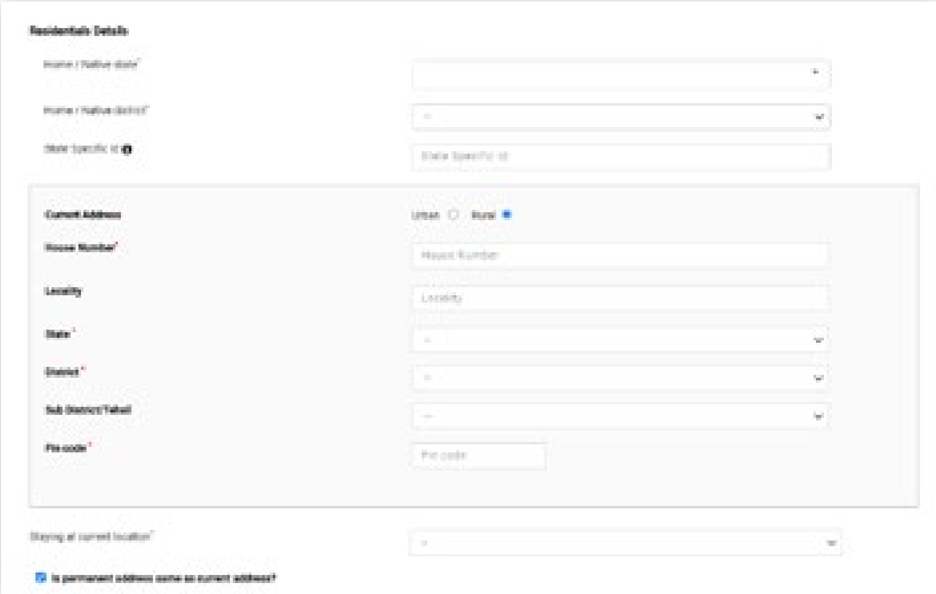

i. पहले अनिवार्य प्रश्न वाले बक्से में राज्य और दूसरे अनिवार्य प्रश्न में जिला डाले जहां के आप मूल निवासी हैं।
ii. तीसरे अनिवार्य प्रश्न में अपने वर्तमान के घर का पता डाले।
iii. चौथे और पाँचवे अनिवार्य प्रश्न के बक्से में अपने वर्तमान राज्य व जिले का नाम डाल दे। और छटे बक्से में अपना पिनकोड डाल दे।

नोट: मूल राज्य- जिला और वर्तमान राज्य- जिला अलग होगा यदि कामगार ने पलायन किया हैं तो।

चरण 7

शिक्षा और आय विवरण दर्ज करें

i. पहले अनिवार्य प्रश्न के बक्से मे अपनी की गयी शिक्षा अनुसार एक विकल्प दबा दे। इसमें पहला विकल्प 'अशिक्षित' का हैं। बाक़ी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के भी विकल्प हैं।

ii. अगले अनिवार्य प्रश्न के बक्से में अपने महीने की आमदनी/ वेतन के लिए दिए हुए विकल्पों में से एक चुन लें। इसमें पाँच विकल्प हैं- 10,000 से नीचे, 10001 से 15000, 15001 से 18000, 18001 से 21000 और 21001 से ऊपर।

चरण 8

व्यवसाय और कौशल की जानकारी दर्ज करें

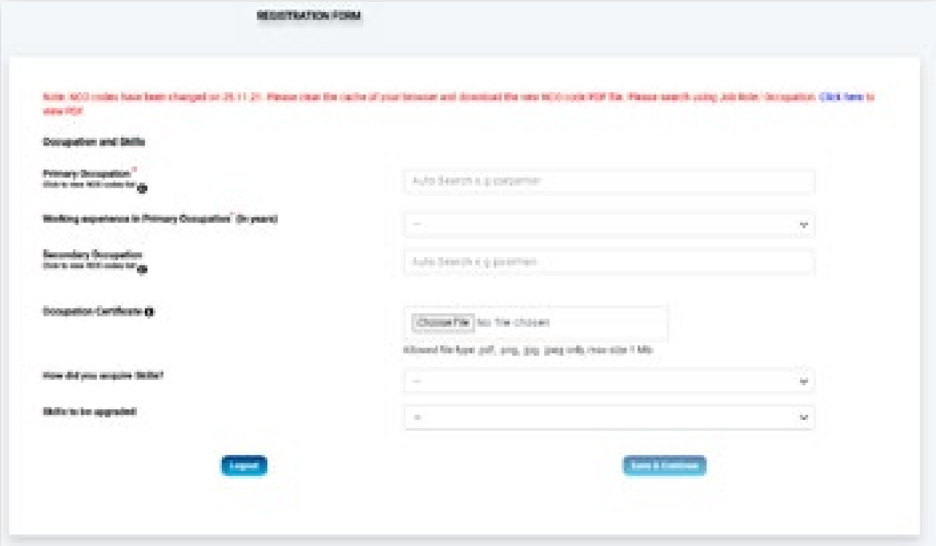

i. प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय (यदि कोई हो) को भरने के लिए कृपया एनसीओ कोड सूची को बहुत ध्यान से पढ़ें। प्राथमिक व्यवसाय कामगार के मुख्य व्यवसाय को दर्शाता है और द्वितीयक/ सेकंडरी व्यवसाय कामगार का अन्य व्यवसाय हो सकता है।

ii. कौशल के लिए, इस बात के विकल्प हैं कि कामगार ने नौकरी के लिए आवश्यक कौशल कैसे हासिल किया है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व-शिक्षा, पैत्रिक, आदि विकल्प हैं।

चरण 9

बैंक खाता विवरण दर्ज करें

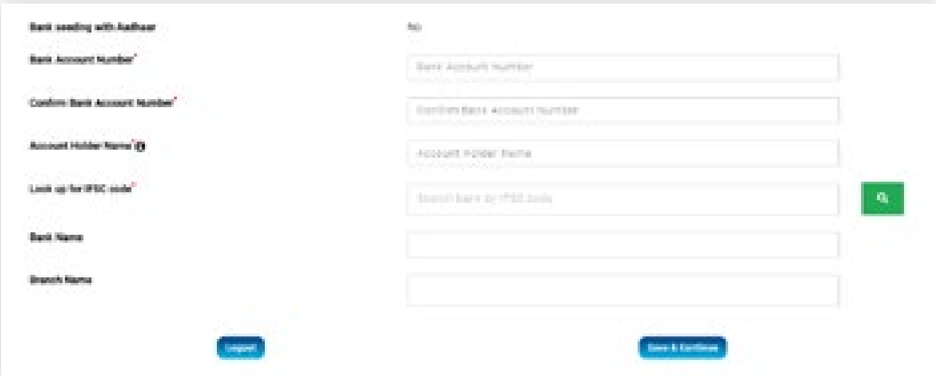

i. पहले अनिवार्य प्रश्न के बक्से में बैंक खाते का नम्बर लिखे।
ii. दूसरे अनिवार्य प्रश्न में बैंक खाते का नम्बर को सुनीश्चित करने के लिए दोबारा डाले।
iii. तीसरे अनिवार्य प्रश्न के बक्से में खाताधारक का नाम (जिनका बैंक खाता हैं उनका नाम) डाल दें।
iv. आगे के अनिवार्य प्रश्न के बक्से में आईएफ़एससी कोड डाल दें।

नोट: यदि बैंक खाता आधार के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह सारी जानकारी अपने आप आ जाएगी।

चरण 10

समीक्षा के बाद, कृपया ई-श्रम कार्ड जमा करें और डाउनलोड करें।

नोट: सफल पंजीकरण पर, आप इसे नजदीकी प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं।

4.
सहायता और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर

श्रम और रोजगार मंत्रालय की टोल-फ्री हेल्प लाइन नंबर 14434

हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तेलुगु और असमिया भाषाओं में उपलब्ध हैं। यह सोमवार से शनिवार सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक उपलब्ध हैं।

शिकायतों के लिए, आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं-

https://gms.eshram.gov.in/gmsportal/#/portal/Grievances

युवा का लेबर हेल्पलाइन नंबर: 022-27740750

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (युवा) द्वारा स्थापित श्रम हेल्पलाइन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, कल्याणऔर सुरक्षित काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने में सहायक रही है। वेतन वसूली का समर्थन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सुविधा और अधिकार जागरूकता के साथ श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए इसका योगदान जारी हैं।

युवा की लेबर हेल्पलाइन केवल मुंबई, नवी मुंबई, अकोला, नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली, गुवाहाटी और रांची के श्रमिकों के लिए उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिये कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं-

https://yuvaindia.org/

5. स्रोत

Department of Social Justice and Welfare. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://socialjustice.nic.in/UserView/index?mid=76750

Ministry of Tribal Affairs. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://tribal.nic.in/ST/LatestListofScheduledtribes.pdf

MoLE. (n.d.). Retrieved 2021 from
https://labour.gov.in/

MoLE E-Shram portal. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://register.eshram.gov.in/#/user/self

MoLE E-Shram leaflet. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://www.eshram.gov.in/leaflets

MoLE Employees Provident Fund Organisation. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://www.epfindia.gov.in/

MoLE Employees' State Insurance Corporation. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://www.esic.nic.in/

MoLE NCO Code list. (n.d.). Retrieved 2021, from
https://register.eshram.gov.in/assets/file/NCO-codes5.pdf

National Commission for Backward Classes. (n.d.). Retrieved 2021, from
http://www.ncbc.nic.in/user_panel/centralliststateview.aspx

Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA) (2021). Parliamentary Watch Report: An Analysis of Questions Asked on Urban Issues in the Indian Parliament in 2020. Retrieved from
https://yuvaindia.org/wp-content/uploads/2017/03/PWR-2020.pdf

Icons. Noun Project (n.d.). Retrieved 2021, from
https://thenounproject.com/

युवा

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (युवा) एक नॉन प्रोफ़िट संस्था है जो गरीब समूहों को उनके अधिकारों तक पहुंचने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा समूह गठन का समर्थन करता है जो विकास में संलग्न होते हैं, जिससे समुदायों में स्व-निर्धारित और निरंतर सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित होती है। यह काम मुद्दों पर वकालत और नीतिगत सुझावो के साथ पूरक है।

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (युवा),
युवा केंद्र, प्लॉट 23, सेक्टर 7, खारघर,
नवी मुंबई - 410210 (भारत)